



2026:AHC: 168341

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 10955/2024

सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: पंकज त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, पं. एस.पी. शर्मा

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14(ए)(1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), झांसी द्वारा विशेष विचारण संख्या 69 वर्ष 2017 (राज्य बनाम विपिन प्रताप सिंह और अन्य, धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत) में पारित आदेश दिनांक 14.07.2023 को अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को थाना लाहचरा, जिला झांसी के मुकदमा अपराध संख्या में धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) (ध) के अंतर्गत तलब किया गया है।
3. इस वाद में, पी.डब्ल्यू.-1 सुरेश और पी.डब्ल्यू.-2 ब्रज किशोर के बयान दर्ज करने के पश्चात अभियुक्त अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह और सह-अभियुक्त राहुल सिंह को धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत तलब किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सह-अभियुक्त सुरेश कुमार, विपिन प्रताप सिंह उर्फ बबुवा, राहुल सिंह और गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त अपीलार्थी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सौरभ सिंह का नाम है। विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त विपिन प्रताप सिंह और सुरेश कुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। तत्पश्चात, संज्ञान लिया गया और आरोप विरचित किए गए। विचारण कार्यवाहियों के दौरान दो अभियुक्तों, अर्थात् राहुल सिंह और अभियुक्त अपीलार्थी सौरभ सिंह को धारा 323, 504 और 506 भा.द.सं. तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1) (ध) के अंतर्गत तलब किया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि न तो एफ.आई.आर. में और न ही विवेचना के दौरान अभियोजन गवाहों के बयानों में स्पष्ट रूप से कोई विशिष्ट और अलग भूमिका सौंपी गई है। यही कारण है कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, विचारण कार्यवाही के दौरान, पी.डब्ल्यू.-1 सुरेश और पी.डब्ल्यू.-2 ब्रज किशोर के बयान दर्ज किए गए थे। पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही के बावजूद, अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। विचारण न्यायालय ने धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी को गलत तरीके से तलब किया है।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अभिवेदन का पुरजोर विरोध किया। विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयानों के आधार पर, दो अभियुक्तों, अर्थात् अभियुक्त अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह और राहुल सिंह को तलब किया गया था। विवेचना अधिकारी ने आरोप-पत्र में दोनों अभियुक्तों को गलत तरीके से दोषमुक्त कर दिया है।

6. यह स्वीकार्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, गांव के कुछ अन्य अभियुक्तों के साथ चार अभियुक्तों के नाम हैं। लेकिन एफ.आई.आर. में ही, घायल को चोट पहुंचाने या पीड़ित को अपमानित या तिरस्कृत करने के लिए जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने के संबंध में अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह के विरुद्ध कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं सौंपी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जाति-आधारित अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने के लिए सामान्य आरोप लगाए गए हैं। पी.डब्ल्यू.-1 सुरेश ने अपने बयान में, एक अभियुक्त, राहुल सिंह को कठोर और कुंद वस्तु यानी डंडे से चोट पहुंचाने के संबंध में विशिष्ट भूमिका बताई है। सामान्य भूमिका के संबंध में, उन्होंने कहा कि सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह और अन्य अभियुक्तों ने चमार शब्द का प्रयोग किया और वे लाठी और डंडे के साथ मौके पर मौजूद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थे। पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 ने कहीं भी पीड़ित के एससी/एसटी वर्ग से संबंधित होने के एकमात्र आधार पर पीड़ित को अपमानित या तिरस्कृत करने के आशय से चोट पहुंचाने या जातिसूचक अपशब्द कहने के संबंध में अभियुक्त अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह की विशिष्ट भूमिका नहीं बताई है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक अभियुक्त अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह को तलब करने का संबंध है, विचारण न्यायालय ने स्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन नहीं किया है।

7. **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008) 8 एस.सी.सी. 435** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर कोई स्थान" के भावों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यदि घटना जनता के सदस्यों को दिखाई देती है तो एक निजी स्थान भी सार्वजनिक दृष्टि के भीतर का स्थान हो सकता है। इसके विपरीत, केवल इसलिए कि कोई घटना किसी सार्वजनिक भवन में होती है, वह स्वतः ही आवश्यकता को पूरा नहीं करती यदि वह सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "चमार" जैसे शब्द, यद्यपि मूल रूप से एक जाति को दर्शाते हैं, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जातिवादी गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे एक अपराध की कोटि में आ सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को उनके लोकप्रिय और सामाजिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उनके व्युत्पत्तिशास्त्रीय अर्थ में। धारा 3(1)(एक्स) (अब धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस)) को आकर्षित करने के लिए, जानबूझकर अपमान या अभित्रास होना चाहिए; और पीड़ित को अपमानित करने का आशय होना चाहिए क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपेक्षित आशय के बिना, केवल गाली-गलौज या झगड़ा अपर्याप्त है। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही केवल वहीं जारी रहनी चाहिए जहां आरोप किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हों। कार्यवाहियां वहां रद्द की जा सकती हैं जहां एफ.आई.आर. किसी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

8. **गोरिंगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 क्रि.एल.जे.350** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब हों, तो ऐसी शिकायत को जारी रहने की अनुमति देना और अपीलार्थी को आपराधिक विचारण की लंबी और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जटिल प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित होगा जिससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 710** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की उपस्थिति के बिना भूमि के कब्जे को लेकर परिवादी के निजी घर के अंदर उत्पन्न विवाद, धारा 3(1)(आर) की वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता है।'

9. **शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और एक अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2249** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हितेश वर्मा (उपरोक्त)** के वादों को उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर किए गए अपमान और अभिवास के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या अभिवास अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभिवास पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य को अपमान, प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा न तो अपमान, प्रताड़ना और न ही उत्पीड़न के कारण है। प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, या कि प्रत्यर्थी 2 ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, तो पक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं है कि प्रत्यर्थी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।"

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस.सी.सी. 763 में:

"15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करे। अपराध

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिद्धांत यह है कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि ऐसे सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का आशय न हो कि वह ऐसे समुदाय से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, 1989 के अधिनियम का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जानबूझकर किया गया अपमान या अभिवास का प्रत्येक कृत्य 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को केवल इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके विपरीत, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) वहां आकर्षित होती है जहां जानबूझकर किए गए अपमान या अभिवास का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को इसका शिकार बनाया जाता है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि 1989 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य उन अपराधों की सजा के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करना था जो एससी/एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित किए जाते हैं।"

10. धारा 319 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए, अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय सामग्री की आवश्यकता होती है, हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एस.सी.सी. 92 के प्रकाश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"105. धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां वाद की परिस्थितियां ऐसा आवश्यकता उत्पन्न करती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की यह राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी वह अपराध करने का दोषी हो सकता है। केवल जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य मिलता है, वहीं ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और आकस्मिक और लापरवाही वाले तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

106. इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जिसे जिरह की कसौटी पर परखना आवश्यक नहीं है, इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह आरोप विरचित करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन उस सीमा तक संतुष्टि से कम है कि साक्ष्य, यदि असिद्ध रहता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 द.प्र.सं. में यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई अपराध किया है" का प्रावधान करने का उद्देश्य "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सके" शब्दों से स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सके" नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए अभियुक्त के दोष के संबंध में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

117.5. यद्यपि धारा 319(4)(बी) द.प्र.सं. के अंतर्गत तत्पश्चात पक्षकार बनाए गए अभियुक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना है मानो वह अभियुक्त था जब न्यायालय ने शुरू में अपराध का संज्ञान लिया था, धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तलब करने के लिए आवश्यक संतुष्टि का स्तर वही होगा जो आरोप विरचित करने के लिए होता है। मूल अभियुक्त और बाद के अभियुक्त को तलब करने के लिए संतुष्टि के स्तर में अंतर इस तथ्य के कारण है कि मूल अभियुक्त के विरुद्ध विचारण पहले ही शुरू हो चुका हो सकता है और ऐसे विचारण के दौरान ही नए तलब किए गए अभियुक्त के विरुद्ध सामग्री का खुलासा होता है। किसी अभियुक्त को नए सिरे से तलब करने से विचारण में विलंब होगा, इसलिए अभियुक्त (मूल और बाद के) को तलब करने के लिए संतुष्टि का स्तर अलग होना चाहिए।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. तदनुसार, प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(ध) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले प्रथम दृष्टया मामले का भी खुलासा करने में विफल रहा है। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह इंगित नहीं करती है कि कथित शब्द या आचरण जाति से प्रेरित थे या किसी व्यक्ति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के आधार पर जानबूझकर उसका अपमान करने या उसे प्रताड़ित करने के आशय से किए गए थे। यह स्थापित करने के लिए भी किसी सामग्री का अभाव है कि कथित घटना "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर किसी स्थान पर हुई थी, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जैसा कि **स्वर्ण सिंह** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है और हितेश वर्मा **तथा शाजन स्कारिया** (उपरोक्त) में इसकी आगे पुष्टि की गई है। इसी प्रकार, धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. के आवश्यक तत्वों को संतुष्ट करने के लिए आरोप पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

12. इसके अतिरिक्त, **हरदीप सिंह** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित स्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि द.प्र.सं. की धारा 319 के अंतर्गत असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना है और केवल वहीं जहां अभिलेख पर मजबूत और ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो, जो आरोप विरचित करने के चरण पर मात्र प्रथम दृष्टया वाद से काफी अधिक हो, आक्षेपित तलब करने का आदेश अपेक्षित विधिक सीमा को पूरा करने में विफल रहता है। अपीलार्थी की मिलीभगत की ओर अचूक रूप से इशारा करने वाली किसी भी विश्वसनीय, उत्कृष्ट सामग्री या साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आकस्मिक और लापरवाही वाले तरीके से धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत तलब करके विधि में त्रुटि की है।

13. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील **स्वीकार** की जाती है, और अपीलार्थी सौरभ सिंह उर्फ संदीप सिंह के संबंध में थाना लाहचरा, जिला झांसी के विशेष विचारण संख्या 69 वर्ष 2017 (राज्य बनाम विपिन प्रताप सिंह) में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) झांसी द्वारा पारित आक्षेपित तलब करने का आदेश दिनांक 14.7.2023, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 323, 504,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(घ) के अंतर्गत तलब किया गया है, को अपास्त किया जाता है।

11 अगस्त, 2026/आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”